भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-392
बुधवार, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 (शक)

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे युवाओं
का कौशल विकास

392. डा॰ एल॰ हनुमंतय्याः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे युवाओं को कुशल बनाने और उन्हें श्रम बाज़ार के अनुसार तैयार करने के लिए क्या सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो योजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे बेरोजगार युवाओं की कुल संख्या क्या है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने के लिए कौशल विकास में निम्नानुसार दो कार्यक्रमों को चला रहा हैः

(i) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) नियोजन संबंद्ध कौशल विकास कार्यक्रम है। डीडीयूजीकेवाई का प्राथमिक लक्ष्य बेरोजगार युवाओं की नियोजनीयता में सुधार के लिए उन्हें कौशलयुक्त बनाना है।
(ii) स्व-रोजगार अपनाने के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशलीकरण हेतु ग्रामीण स्व-रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान (प्रशिक्षित एवं रोजगार में स्थापित/नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या) राज्य-वार वस्तुपरक उपलब्धि अनुबंध-। एवं ।। में दी गई है।

आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय भी शहरी निर्धन परिवारों की निर्धनता एवं अरक्षितता को कम करने के लिए सितम्बर, 2013 से एक केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात "दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" (डीएवाई-एनयूएलएम) का कार्यान्वयन भी कर रही है जिससे धारणीय आधार पर उनकी आजीविका में सुधार हेतु लाभप्रद स्व-रोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों तक उनकी पहुंच बन सके। अब तक नियोजित कुशल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म-उपक्रमों की स्थापना हेतु सहायता प्राप्त लाभार्थियों एवं स्व-सहायता समूह-बैंक-संबद्ध कार्यक्रम के तहत स्व-सहायता समूहों को संवितरित ऋणों की संख्या अनुबंध-।।। में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, स्किल इंडिया मिशन के तहत, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशिप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य 12,000 करोड़ रु. के परिव्यय से देश भर में चार वर्षों अर्थात 2016-20 में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी), पूर्व शिक्षा को मान्यता (आरपीएल) तथा विशेष परियोजना (एसपी) के अंतर्गत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करना है। योजना के तहत, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित अभ्यर्थियों सहित भावी सभी अभ्यर्थियों को अल्प अवधि के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं।

पीएमकेवीवाई 2016-20 के तहत, 24.01.2019 को देश में 37.32 लाख (लगभग) अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें एसटीटी (25.25 लाख), आरपीएल (11.27 लाख) एवं विशेष परियोजना के तहत (0.8 लाख) अभ्यर्थी हैं। पीएमकेवीवाई 2016-20 योजना के तहत, नियोजन का पता लगाना अनिवार्य है। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के प्रमाणीकरण के 90 दिनों के भीतर नियोजन डेटा रिपोर्ट किया जाता है। एसडीएमएस पर रिपोर्टित आंकड़ों के अनुसार, 24.01.2019 को, पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत एसटीटी एवं एसपी के तहत 21.03 लाख अभ्यर्थियों का प्रमाणीकरण किया गया। पीएमकेवीवाई के एसटीटी एवं एसपी के तहत प्रमाणीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 90 दिन पूर्व अर्थात 26.10.2018 को 19.39 लाख है, इन अभ्यर्थियों में 24.01.2019 तो 10.64 लाख अभ्यर्थीयों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित किया गया है।

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 06.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 392 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष वार डीडीयू-जीकेवाई की वर्ष-वार वस्तुपरक उपलब्धि									
क्र.सं.	राज्य	वि.व. 15-16		वि.व. 16-17		वि.व. 17-18		वित्तीय वर्ष 18-19 से दिसंबर '19 तक 10.01.19 को	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	4013	1989	12787	18966	17341	10954	21136	21620
2	असम	4258	3022	8202	1479	9936	3464	11490	5257
3	बिहार	7722	3685	8608	4216	6972	4859	6768	5019
4	छत्तीसगढ़	8434	4463	7355	1987	3111	539	4351	2193
5	गुजरात	7892	5083	2254	2075	528	160	3545	928
6	हरियाणा	13409	8807	10512	586	2281	5832	1071	4065
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	350	0	2068	245
8	जम्मू और कश्मीर	18609	16524	7300	6453	1137	1424	2276	152
9	झारखंड	6939	1314	8360	2355	5526	2375	4372	1767
10	कर्नाटक	10926	5443	10909	4432	8871	4752	4391	4148
11	केरल	4738	2446	11246	5598	10587	4175	9419	7534
12	मध्य प्रदेश	13089	3954	10974	3546	5353	1823	6369	1650
13	महाराष्ट्र	0	0	4140	3694	7082	7390	8371	2404
14	मेघालय	0	0	0	0	0	0	567	202
15	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	157	0
16	ओडिशा	23070	18001	32108	45726	23520	14035	28680	23672
17	पंजाब	0	0	0	0	4987	563	1643	1372
18	राजस्थान	23143	12844	3837	3397	2599	693	6068	2782
19	सिक्किम	304	205	0	70	0	0	0	0
20	तमिलनाडु	20449	9375	113	30780	519	765	1502	121
21	तेलंगाना	3554	1830	8969	9150	12470	9048	12373	13123
22	त्रिपुरा	305	75	1197	342	1530	526	1105	1320
23	उत्तर प्रदेश	63209	8552	11203	2052	4795	892	10086	2973
24	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	555	157
25	पश्चिम बंगाल	2408	1900	2512	979	2032	1518	5367	2362

<u>अनुबंध- ।।</u>

राज्य सभा के दिनांक 06.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 392 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आरएसईटीआई की वर्ष-वार वस्तुपरक उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य का नाम	वि.व. 2015-16		वि.व. 2016-17		वि.व. 2017-18		वि.व. 2018-19 (30.11.2018)	
		प्रशिक्षित	स्थायी	प्रशिक्षित	स्थायी	प्रशिक्षित	स्थायी	प्रशिक्षित	स्थायी
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	299	545	365	310	497	439	339	134
2	आंध्र प्रदेश	12769	8371	12640	9606	12465	10683	6892	4092
3	अरुणाचल प्रदेश	210	8	485	360	345	153	203	28
4	असम	14556	9610	15057	11278	14262	11305	8076	4542
5	बिहार	27528	20811	30543	23682	28411	24863	15969	8946
6	छत्तीसगढ़	11486	6781	13320	8702	12651	9707	7600	3626
7	दादरा एवं नागर हवेली	731	318	763	581	606	406	376	85
8	गुजरात	26728	18162	24211	27346	22359	22219	13403	8629
9	हरियाणा	13984	9922	15126	12534	15496	11032	7799	4625
10	हिमाचल प्रदेश	5603	4860	5765	6258	5753	4727	3512	2739
11	जम्मू और कश्मीर	10185	7104	7462	5958	9504	7498	5824	3566
12	झारखंड	20169	14033	19607	14249	17660	14596	9638	4524
13	कर्नाटक	36346	19839	34504	29135	27515	26914	15984	11504
14	केरल	13477	8758	14129	11449	11582	11282	6087	4186
15	लक्षद्वीप	102	50	3	0	10	0	0	0
16	मध्य प्रदेश	32337	23669	34769	26113	36179	24612	19417	8771
17	महाराष्ट्र	24946	17768	26582	24083	26143	23436	14754	6435
18	मणिपुर	304	68	355	304	465	310	156	93
19	मेघालय	1461	243	2244	1421	1851	1042	923	374
20	मिजोरम	508	380	408	439	453	523	422	176
21	नागालैंड	297	81	336	218	380	294	251	292
22	ओडिशा	25807	20544	25456	19567	22173	18927	13555	8060
23	पुड्डुचेरी	764	516	788	566	782	859	512	295
24	पंजाब	11833	7249	11861	9227	11582	10706	6189	4253
25	राजस्थान	30728	21652	33369	29486	30641	22322	17289	9081
26	सिक्किम	482	363	484	304	432	314	237	110
27	तमिलनाडु	25158	18506	26287	20224	26805	22674	14562	9573
28	त्रिपुरा	3752	1980	3508	2125	3132	1926	1710	892

क्र.सं.	राज्य का नाम	वि.व. 2015-16		वि.व. 2016-17		वि.व. 2017-18		वि.व. 2018-19 (30.11.2018)	
		प्रशिक्षित	स्थायी	प्रशिक्षित	स्थायी	प्रशिक्षित	स्थायी	प्रशिक्षित	स्थायी
29	उत्तर प्रदेश	53166	35658	54737	46250	54503	44515	30877	16215
30	उत्तराखंड	6909	6021	6922	6600	7156	5297	4795	2402
31	पश्चिम बंगाल	16267	11151	15248	11003	14405	10574	7599	3451
32	तेलंगाना	7493	5503	7809	5158	7145	5942	4519	2355
	कुल :	436385	300524	445143	364536	423343	350097	239469	134054

अनुबंध- ।।।

राज्य सभा के दिनांक 06.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 392 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(ईएसटीएण्डपी) के तहत नियोजित कुशल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की राज्य-वार कुल संख्या व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उपक्रमों (एसईपी(आईएंडजी) को स्थापना हेतु सहायियत लाभार्थियों तथा 2014-15 से डीएवाई-एनयूएलएम के तहत एसएचजी-बैंक संबंद्ध कार्यक्रम के तहत एसएचजी को संवितरित ऋण।

23.01.2018 को

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	(ईएसटीएण्डपी) के तहत नियोजित व्यक्तियों की संख्या	एसईपी (आईएण्डजी) घटक के तहत सहायियत लाभार्थियों की संख्या	स्व सहायता समूह-बैंक संबद्ध कार्यक्रम के तहत संवितरित स्व-सहायता समूहों को संवितरित ऋणों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	90338	58487	230668
2	अरुणाचल प्रदेश	410	2	0
3	असम	1838	807	654
4	बिहार	2166	5296	583
5	छत्तीसगढ़	20177	23073	4818
6	गोवा	1820	28	0
7	गुजरात	19515	6991	2504
8	हरियाणा	1523	1554	240
9	हिमाचल प्रदेश	531	989	247
10	जम्मू और कश्मीर	339	4721	532
11	झारखंड	26829	5354	462
12	कर्नाटक	5062	14361	5211
13	केरल	5422	2452	14148
14	मध्य प्रदेश	70656	60978	7276
15	महाराष्ट्र	29887	24248	8638
16	मणिपुर	68	22	192
17	मेघालय	435	66	0
18	मिजोरम	1172	885	241
19	नागालैंड	4647	1188	42
20	ओडिशा	3243	15277	4060
21	पंजाब	2188	3509	54
22	राजस्थान	1666	10568	823
23	सिक्किम	228	37	0
24	तमिलनाडु	62317	82182	74781
25	तेलंगाना	22469	8028	103647
26	त्रिपुरा	216	368	11
27	उत्तर प्रदेश	72260	38758	2120
28	उत्तराखंड	2464	4175	10
29	पश्चिम बंगाल	19272	5021	9120
30	चंडीगढ़	2688	150	12
31	पुडुचेरी	0	11	1
	कुल	471846	379586	471095

स्रोतः आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय